बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/12/2024

अ.सं.:संबं0–6144/2024–1610/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–27.11.2024 को गैर–सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित सत्र–2023–24 हेतु औपबंधिक संबद्धता प्राप्त गैर–सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय को सत्र–2023–24 हेतु अस्थायी संबद्धता प्रदान करते हुए कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र–2024–25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन किया जाता है।

Sl No	Name of the Pharmacy College	Course	Intake Capacity for 2024-25
1	2	3	4
1	Rajeev College of Pharmacy, Vill-Dhanhara, Po-Manik Chowk, Ps-Runni Saidpur, Sitamarhi- 843323	B. Pharm	100

नियम एवं शर्तें:–

1. अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. सभी फार्मेसी महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
6. विश्वविद्यालय/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली /स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2024–25 हेतु प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलाफल से आच्छादित होगा।
7. महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए औपबंधिक संबद्धता /संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

Rajeev College of Pharmacy, Vill-Dhanhara, Sitamarhi-843323

सं०सं०–17/एफ 1–29/2020 – 1090(17)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शिशिर कुमार मिश्रा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
पत्राचार का पता–ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक,
थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी, पिन कोड–843323

पटना, दिनांक :– 31/12/2021

विषय :– राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक, थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी को डी० फार्म एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव, राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक, थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी के पत्रांक–RCP/21 दिनांक–06.07.2020 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक, थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी में डी० फार्म एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

इस परिप्रेक्ष्य में संस्थान के स्थल निरीक्षण हेतु विभागीय आदेश सं0–60(17) दिनांक–13.01.2021 द्वारा चार सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था।

जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्था (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निहित प्रावधानों के अधीन राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक, थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) के विनियमों/मानकों/प्रावधानों के शर्त्ताधीन सत्र–2020–2021 से डी० फार्म पाठ्यक्रम के 60 सीटों एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) अगले आदेश तक प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन
31/12/21
(शिशिर कुमार मिश्रा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

Rajeev College of Pharmacy
Vill-Dhanhara, Sitamarhi-843323

D/Raumish sir/Letter

सं०स०–17 / एफ 1–29 / 2020
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,
शिशिर कुमार मिश्रा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,
सचिव,
राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
पत्राचार का पता–ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक,
थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी, पिन कोड–843323

पटना, दिनांक :– / /2021

विषय :–राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक, थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी को डी० फार्म एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव, राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक, थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी के पत्रांक–RCP/21 दिनांक–06.07.2020 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक, थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी में डी० फार्म एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

इस परिप्रेक्ष्य में संस्थान के स्थल निरीक्षण हेतु विभागीय आदेश सं0–60(17) दिनांक–13.01.2021 द्वारा चार सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था।

जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्था (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निहित प्रावधानों के अधीन राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम–धनहारा, पो०–मानिक चौक, थाना–रूनीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) के विनियमों / मानकों / प्रावधानों के शर्त्ताधीन सत्र–2020–2021 से डी० फार्म पाठ्यक्रम के 60 सीटों एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) अगले आदेश तक प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन
(शिशिर कुमार मिश्रा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :–17 / एफ1–29 / 2020 - 1090 (17) पटना, दिनांक :–31 / 12 /2021

प्रतिलिपिः– निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 / निबंधक–सह–सचिव, फॉर्मेसी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया, NBCC Centre 3rd Floor, Plot NO.2, Community Centre Maa Anandamai Marg, Okhla Phase-1, Landmark- (Near Hotel Crowne Plaza) New Delhi-110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / सभी प्राचार्य, राजकीय फॉर्मेसी संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– रजिस्ट्रार, बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर / आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / अपर सचिव (श्री कौशल किशोर) के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

D/Raumish sk/Letter

Rajeev College of Pharmacy, Vill-Dhanhara, Sitamarhi-843323

Scanned with CamScanner